भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *216

जिसका उत्तर 13 मार्च, 2025 को दिया जाना है।

.....

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत नियमित जलापूर्ति

*216. श्री राहुल कस्वां:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना (आईजीएनपी) के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए नियमित जलापूर्ति मार्च तक प्रस्तावित थी तथा राजस्थान राज्य सरकार ने नहर के किनारों पर परत लगाने/मरम्मत कार्यों के बहाने जनवरी में ही यह जलापूर्ति बंद कर दी है जबकि नहर का पानी मार्च-अप्रैल के दौरान बंद होना चाहिए था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की ओर से गलत संप्रेषण तथा निर्धारित एवं समुचित समय-सीमा सहित योजना बनाने में विसंगति के कारण किसानों की रबी फसलें क्षतिग्रस्त/नष्ट हो गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रभावित किसानों को गिरदावरी/मूल्यांकन/सर्वेक्षण करवाकर पूर्ण मुआवजा देने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो विशेषकर बीकानेर संभाग सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री श्री सी. आर. पाटील

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

‘इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत नियमित जलापूर्ति’ के संबंध में दिनांक 13.03.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *216 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ङ): राजस्थान सरकार द्वारा उल्लिखित किया गया है कि वर्ष 2024-25 में जल की कमी की अवधि के दौरान, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए राजस्थान के हिस्से के अनुसार, दिनांक 30 सितंबर, 2024 और दिनांक 14 नवंबर, 2024 को आयोजित जल परामर्शदात्री समिति की बैठकों में यह निर्णय लिया गया था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना कमान क्षेत्र में 5 बाड़ी उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया जाए। उपर्युक्त जल परामर्शदात्री समिति की सिफारिश पर, आयुक्त, कमान क्षेत्र विकास, बीकानेर द्वारा नहर विनियमन कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई है। तदनुसार, दिनांक 5 फरवरी, 2025 तक 5 बाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। जैसा कि निर्णय लिया गया था, तत्पश्चात् इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

राजस्थान सरकार द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि दिनांक 30 सितम्बर, 2024 और दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को आयोजित जल परामर्शदात्री समिति की बैठकों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए पानी की हिस्सेदारी के बारे में खेतीहरों को जानकारी दे दी गई है। नहर संचालन की अनुसूची तैयार कर ली गई है और उसे खेतीहरों के साथ साझा किया गया है। उपर्युक्त के मद्देनजर, किसानों को मुआवजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

*****